(62)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/ग्वालियर/आ.अ./2017/3434 विरूद्ध आदेश दिनांक 26-8-2017 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/4302.

ग्वालियर एल्कोब्रू प्रायवेट लिमिटेड
(फार्मली ग्वालियर डिस्टलरीज लि.)
रायरू फार्म, आगरा मुंबई रोड, ग्वालियर
द्वारा जनरल मैनेजर
पी.व्ही.मुरलीधरन पुत्र स्व. व्ही.व्ही.एस. नाम्बीशान
निवासी रायरू फार्म, ग्वालियर
.............अपीलार्थी

विरूद्ध

आबकारी आयुक्त, मोतीमहल म.प्र. ग्वालियर
.............प्रत्यर्थी

श्री कुलदीप सिंह, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/11/18 को पारित)

अपीलार्थी कम्पनी द्वारा यह अपील मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)-सी के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/4302 में पारित आदेश दिनांक 26-8-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी कम्पनी को अधीनस्थ न्यायालय ने पत्र क्रमांक 5(1)14-15/1153 दिनांक 30-3-2015 द्वारा देशी मदिरा प्रदाय हेतु वर्ष 2015-16 के लिए प्रदाय क्षेत्र भिण्ड हेतु अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई थी । जिला आबकारी, जिला भिण्ड के प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा जिला भिण्ड के मद्यभाण्डागार में अवधि माह अप्रैल, 2015 से मार्च 2016 तक 15 दिवसों में विगत माह

के 5 दिवस के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का संग्रह नहीं रखा गया है । अपीलार्थी कम्पनी द्वारा की गई उक्त अनियमितता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया । अपीलार्थी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/4302 में दिनांक 26-8-2017 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 4(4) का उल्लंघन किये जाने से नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने के कारण अपीलार्थी कम्पनी पर रूपये 15,000/- शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही अपीलार्थी कम्पनी द्वारा स्टोरेज मद्यभाण्डागार भिण्ड एवं लहार में अवधि माह अप्रैल, 2015 से मार्च 2016 तक कुल 15 दिवसों में बोतलबंद देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने के कारण रूपये 250/- प्रतिदिन के मान से रूपये 3,750/- इस प्रकार कुल रूपये 18,750/- की शास्ति अधिरोपित की गई । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में सुनवाई के दौरानी अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अत: प्रकरण का निराकरण अपील मेमों में उल्लेखित आधारो एवं शासकीय अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधार व अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । अपील मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) The impugned order passed by Excise Commissioner is againest the provisions of law and liable to be set aside.

(2) It is submitted before this Court that, before passing order Annexure A, no opportunity of hearing has been granted.

(3) It is submitted before this Court that, since the present appellant has submitted figures with regard to the fact that the retailer are not lifting the country liquuor in glass bottle therefore, the appellant had to face huge losses for that and therefore at some point of time the stock of glass bottle may be less however at no point of time there is any specific instance where the demand was raised by any retailer to get the country liquor in glass bottle and it was not supplied to the retailer due to non availability of stock. Since there is no loss cause to the State Govt. therefore the

It is therefore, humby and respectfully prayed that this Court may kindly be please to allow this appeal and set aside the impugned order dated 26-8-2017 passed by Exise Commissioner in File no. 5(1)2017-18/4302. The appellant has already deposit the mony in compliance of the impugned order, therefore the same may kindly be refunded to the appellant during the pendency of this appeal.

4/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) देशी स्प्रिट के नियम 4(4) जो कि आज्ञापक उपबंध है, के अनुसार-

4.Manufacture, working & control:--

(4) The licensee shall maintain at the distillery the minimum stock of sprit as prescribe by the Excise Commissioner from time to time.

(2) इकाई मेसर्स ग्वालियर एल्कोब्रू प्रायवेट लिमिटेड रायरू जिला ग्वालियर को पत्र क्रमांक 5(1)14-15/1153 दिनांक 30-3-2015 द्वारा अपैल, 2013 से मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए मद्यभाण्डागार भिण्ड एवं लहार के लिए सी.एस. 1 लायसेंस प्रदाय किया गया था, जिसके शर्त क्रमांक 3 के अनुसार एवं म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 4(4) के अनुसार इकाई को विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का संग्रह रखना अनिवार्य है ।

(2) इकाई यह मासिक पत्रक प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार भिण्ड में चालान पेंडिंग नहीं रहे दिनों में 12 दिवस एवं लहार में चालन पेंडिंग नहीं रहे दिनों में 03 दिवस कुल 15 दिवस में 5 दिवस समतुल्य निर्धारित संग्रह नहीं रखा गया । उपरोक्त मासिक पत्रक से यह तथ्य स्पष्ट है कि इंकाई द्वारा अप्रैल, 2015 से मार्च 2016 में 5 दिवस समतुल्य निर्धारित संग्रह कुल 15 दिन नहीं रखा गया है ।

(3) उपरोक्तानुसार इकाई को आबकारी आयुक्त द्वारा पत्र क्रमांक 5(1)/2016-17 दिनांक 26-11-2016 प्रेषित करते हुए जवाब मांगा गया, जिस पर इकाई द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए वर्णित किया गया कि निविदा शर्तों के अनुसार फुटकर ठेकेदारों की मांगों के अनुसार प्रदाय देना होता है और उसी के अनुसार देशी मदिरा का प्रदाय उठाते हैं और मांग अनुसार प्रदाय किया गया है । जब बोतलों में मांग नहीं की गई तो प्रदाय नहीं किया गया ।

impugned order levying the panalty is bad in law and accordingly deserves to be set aside.

(4) It is submitted before this Court that it is not the case of the respondent that any point of time, the appellant was not able to provide the country Liquor against any demand. Therefore, it is presume but not admitted that at some point of time the quantity has fallen short of the required quantity, the same has not cause any loss or prejudice to the respondent. Therefore, the no penalty is required to pay by the appellant.

(5) It is submitted before this Court, that the Board os Revenue in appeal no. 1010-PBR/2011 vide its order dated 25-1-2013 has held that the appellant voluntarily did not maintain the minimum stock and further no loss has ever been cause to the State Ex-chequre. Therefore, in view of the judgment of Board of Revenue, the appellant is not liable pay any amount of minimum stock. Copy of the order is annexed herewith and marked as Annexure D.

(6) It is submitted before this Court that in the case reported in 2012 RN 152 has held that there is no loss cause to the state revenue then no penalalty can be impossed for non keeping minimum stock.

(7) It is submitted before this Court that even the State Govt. has challenge the validity of order of the Board of Revenue before Hon'ble High Court by filling W.P. No. 10997/2013 before Principal Seat of this Hon'ble Court at Jabalpur however the write petition preferred by the State Govt. was dismissed by holding that at no point of time. The supply has been interrupted, therefore no loss has been cause to the State Govt. which leads to levy of penalty. Copy of the judgment of Hon'ble High Court is annexed herewith and marked as Annexure-E.

(8) It is submitted before this court that, at no point of time there was any willful fault on the part of the appellant for not keeping the minimum stock of country liquor in glass bottle.

(4) आबकारी आयुक्त ने प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं अभिलेख के अवलोकन के पश्चात यह तथ्य पाया कि अपीलार्थी द्वारा पत्रक अनुसार लगभग 15 दिवस न्यूनतम स्टॉक का संग्रह का भण्डार नहीं किया गया है, जो कि म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 4(4) व सी.एस. 1 लायसेंस की शर्त क्रमांक 3 का उल्लंघन है और उपरोक्त आधार पर नियम 12(1) के अधीन दण्डनीय होने से 250/- प्रतिदिन के हिसाब से रूपये 3,750/- एवं न्यूतम स्टॉक नहीं रखे जाने से 15,000/- अनियमितता हेतु अधिरोपित कर 18,750/- शास्ति अधिरोपित की गई है ।

(5) न्यूनतम स्टॉक रखना विधिक अनिवार्यता है जैसा कि माननीय दिल्ली हायकोर्ट की डिवीजन बैंच ने अपने न्याय निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया विरूद्ध सेंट्रल डिस्टलरील एण्ड ब्रेवरीज में निर्णय पारित किया है ।

(6) अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया गया है कि न्यूनतम स्टॉक का भण्डार नहीं किया गया है, जो कि अपीलार्थी के स्वयं की स्वीकारोक्ति है । अपीलार्थी द्वारा अपील में ऐसा कोई तथ्य वर्णित नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित हो कि अपीलार्थी द्वारा नियम एवं टेंडर की उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

अत: आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधि विधान के अनुसार होने से एवं उपरोक्त शास्ति सी.एस. 1 लायसेंस की शर्त क्रमांक 3 एवं म.प्र. देशी स्प्रिट नियम 4(4) का उल्लंघन होने से नियम 12(1) के अनुसार दंडित किया गया है, जो कि उचति एवं न्यायसंगत है ।

5/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मेमों में उल्लेखित आधारों एवं प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा उसे प्रदाय क्षेत्र जिला भिण्ड के मद्यभाण्डागारों में अवधि माह अप्रैल, 2015 से मार्च 2016 तक 15 दिवसों में विगत माह के 5 दिवस के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का संग्रह नहीं रखा गया है, जबकि म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 4(4) के अनुसार अपीलार्थी को विगत माह के 5 दिवस के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का संग्रह रखना अनिवार्य है । अपीलार्थी द्वारा विगत माह के 5 दिवस के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का संग्रह नहीं रखने से, भले ही शासन को राजस्व की हानि नहीं हुई हो, परन्तु अपीलार्थी द्वारा विहित वैधानिक व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है, जिसका पालन अपीलार्थी द्वारा नहीं किया गया है, अत: अपीलार्थी का

उक्त कृत्य दण्डनीय है । उपरोक्त स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर, उत्तर प्राप्त किया गया है, जिसमें आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी का उत्तर समाधान कारक नहीं पाया गया है । अतः आबकारी आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में भिण्ड प्रदाय क्षेत्र के मद्यभाण्डागार भिण्ड एवं लहार से सम्बद्ध देशी मदिरा फुटकर बिक्री दुकानों के ठेकेदारों को मांग अनुसार बोतलबंद देशी मदिरा प्रदाय में विलम्ब हुआ है । मद्यभाण्डागारों पर देशी मदिरा की भरी हुई बोतलों का निर्धारित न्यूनतम संग्रह रखना विहित वैधानिक व्यवस्था है एवं आसवक इसका पालन करने के लिए बाध्य है । अतः अपीलार्थी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 4(4) का उल्लंघन किये जाने से अपीलार्थी का उक्त कृत्य नियम 12(1) के तहत दण्डनीय होने के कारण आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी पर जो शास्ति अधिरोपित की गई है, वह वैधानिक दृष्टि से उचित होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-8-2017 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर